प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक (अमृत)/निदेशक,
नगर निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 16 मार्च, 2017

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में अमृत (AMRUT-Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) के अन्तर्गत रायबरेली की सीवरेज परियोजना (फेज-1 पार्ट-1) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपुर्यक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में अमृत (AMRUT) के अन्तर्गत **रायबरेली की सीवरेज परियोजना (फेज-1 पार्ट-1)** की अनुमानित लागत रू0 5027.71 लाख की प्रायोजना रचना एवं मूल्याकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत **रूपए 4983.38 लाख** (रू0 उनचास **करोड़ तिरासी लाख अड़तीस हजार मात्र**), जिसमें रू0 548.83 लाख सेन्टेज तथा रूपए 43.91 लाख लेबर सेस सम्मिलित है, की लागत पर **प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति** निर्गत करते हुए **प्रथम किश्त के रूप में** कुल **धनराशि रू0 443.46 लाख (रू0 चार करोड़ तैतालिस लाख छियालिस हजार मात्र)** अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो, प्रतिबन्धों एवं विवरण के अनुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि लाख रूपये में)

परियोजना का नाम	प्रायोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत पर निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	मूल्यांकित लागत में सेन्टेज की धनराशि	कार्य लागत (2-3)	लागत में सम्मिलित केन्द्रांश (कार्य लागत का 50 प्रतिशत)	लागत में सम्मिलित राज्यांश (कार्य लागत का 30 प्रतिशत)	लागत में सम्मिलित निकाय अंश (कार्य लागत का 20 प्रतिशत)	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश	अवमुक्त कुल धनराशि (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
रायबरेली की सीवरेज परियोजना (फेज-1 पार्ट-1)	4983.38	584.83	4434.55	2217.28	1330.36	886.91	443.46	443.46

(कुल रूपए चार करोड़ तैतालिस लाख छियालिस हजार मात्र)

(1) परियोजना के सापेक्ष निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष केन्द्रांश की प्रथम किश्त की कुल धनराशि **रू0 443.46 लाख (रूपए चार करोड़ तैतालिस लाख छियालिस हजार मात्र)** का व्यय शासनादेश संख्या-18/2016/6804/नौ-5-15-221बजट/2015, दिनांक 08.02.2016 द्वारा अवमुक्त धनराशि में से की जायेगी

(2) प्रथम किश्त के रूप में राज्यांश एवं निकाय अंश की धनराशि पृथक से अवमुक्त की जायेगी।

(3) अवमुक्त सेन्टेज की धनराशि कार्यदायी संस्था को नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी तथा समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष समानुपातिक रूप से भुगतान की जायेगी।

(4) अटल मिशन फार रिजूवनेशन एण्ड अर्बन टांसफारमेशन के अन्तर्गत यथानिर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(5) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(6) निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ किया जायेगा तथा निर्धारित समय के अन्तर्गत पूर्ण किया जायेगा, जिससे कास्ट ओवर रन, टाइम ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

(7) प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आगणन का परीक्षण आगणन में प्रस्तावित विशिष्टयों एवं तदनुसार प्रस्तावित प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि तथा उच्च विशिष्टयां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्रांइग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन होता है, तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर प्रशासकीय विभाग द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुनः

अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9) परियोजना का क्रियान्वयन/अवमुक्त धनराशि का उपभोग भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(10) उक्त परियोजना लागत में सम्मिलित निकाय अंश की धनराशि संबंधित निकाय द्वारा वहन की जायेगी।

(11) अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र समयबद्ध रूप से भारत सरकार, राज्य सरकार एवं महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) परियोजना के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि के लेखे का विवरण मिशन निदेशक(अमृत), नगर निकाय, उ0प्र0 द्वारा रखा जाय।

(13) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(14) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(15) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगा कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जायेगी।

3- अवमुक्त कुल धनराशि में से केन्द्रांश की प्रथम किश्त की कुल अवमुक्त धनराशि **रूपए 443.46 लाख (रूपए चार करोड़ तैतालिस लाख छियालिस हजार मात्र)** का व्यय शासनादेश संख्या-18/2016/6804/नौ-5-15-221बजट/2015, दिनांक 08.02.2016 द्वारा अवमुक्त धनराशि में से किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-यू.ओ.-ई-8-182 /दस-17, दिनांक 17 जनवरी, 2017 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-31/2017/4061(1)/नौ-5-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-,

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(वर्क्स लेखा अनुभाग) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
4- निदेशक (अमृत), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
6- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, रायबरेली, उत्तर प्रदेश।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- निदेशक/अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
11- मुख्य अभियन्ता (नागर)/पीडीएमसी, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
13- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।